2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 491 सन 2018
अनवान :–

1. ललित मोहन सिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपूत जिवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर।

बनाम वादी

1. भवंरसिह पुत्र सवाईसिह जाति राजपुत साकिन 22 एनटीआर तहसील नोहर
2. रणवीर सिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपुत निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
3. राजकंवर पुत्री भंवरसिह जाति राजपुत निवासी 22 एनटीआर तहसील नोहर
4. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक नोहर।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 29.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा 22 एनटीआर के खाता संख्या 52/53 के कल किता 9 की 7.0840हैक भूमि में से 41–1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भवरसिह पुत्र सवाईसिह के नाम से दर्ज है व खाता संख्या 83/84 की कुल किता 20 की कुल 4.6810हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भंवर सिह पुत्र सवाईसिह के नाम से दर्ज है जो पूर्व में उनके पिता के नाम से दर्ज थी अर्थात वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद डिक्री किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। उभयपक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी

संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने कों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1, ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों समर्थन में पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा 22 एनटीआर के खाता संख्या 52/53 की कुल किता 29 की 7.0840हैक्ट, भूमि में से 41–1/2 हिस्सा व खाता संख्या 83/84 की कुल 4.6810हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Original